



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177766

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5167 / 2026**

मनोज

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

अंकित शर्मा, गंगा भूषण मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, शिव कुमार सिंह

**न्यायालय संख्या - 65**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. सूचनादाता द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र और अपीलार्थी द्वारा दायर प्रत्युत्तर शपथ पत्र अभिलेख पर ले लिए गए हैं।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गंगा भूषण मिश्रा, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आशुतोष सिंह को सुना गया।
3. यह जमानत याचिका, झांसी जिले के लाहचुरा पुलिस थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 05/2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 352, 351(3), 103(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि हालांकि अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में सात अन्य लोगों के साथ दर्ज है और आरोप के अनुसार उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मृतक पर हमला किया, जिसके कारण उसे चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से भी यही स्पष्ट होता है कि सभी आरोपियों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि सह-आरोपी बलादीन, अमोल, नीरज, लाल लाल और मिथ्यो, जिनका नाम अपीलार्थी के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दर्ज है, को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों से अपीलार्थी का मामला उनके समान ही सिद्ध होता है।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि, सूचनादाता ने सह-आरोपी नीरज के मामले में विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4875/2026 में पारित जमानत आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सह-आरोपी नीरज को दी गई जमानत रद्द नहीं की। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि, सह-आरोपी सुरेश राय की जमानत याचिका इस न्यायालय की एक अन्य समकक्ष पीठ द्वारा खारिज कर दी गई है, लेकिन कानून यह स्थापित है कि किसी भी जमानत अस्वीकृति आदेश की कोई समानता नहीं हो सकती।

8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि, वर्तमान मामले के अलावा, अपीलार्थी का दो अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन दोनों मामले छोटे अपराधों से संबंधित हैं और वर्तमान मामले में वह 24.01.2025 से यानी पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से जेल में है।

9. उन्होंने आगे निवेदन किया कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

10. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि अपीलार्थी का नाम अन्य लोगों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है, हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से पता चलता है कि सभी आठ आरोपियों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है, जबकि मृतक को कुल 10 चोटें आई थीं, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि यह झूठे फंसाने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि मृतक का वीडियो बयान भी है, जिसके अवलोकन से पता चलता है कि मृत्यु से पहले मृतक ने अपीलार्थी, मिथ्यो और लाल लाल का नाम लिया था, इसलिए मृतक के वीडियो बयान से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का मामला उन सह-आरोपियों से अलग है जिन्हें इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उन्होंने आगे निवेदन किया कि सह-आरोपी नीरज के मामले में समकक्ष पीठ द्वारा पारित जमानत आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बदला है, लेकिन सूचनादाता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि हम सह-आरोपी नीरज को जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए उपरोक्त आधार पर भी अपीलार्थी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

12. उन्होंने आगे निवेदन किया कि अतः तत्काल जमानत याचिका खारिज कर दी जाए।

13. मैंने दोनों पक्षों को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

14. अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और आरोप के अनुसार उसने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर मृतक को बुरी तरह पीटा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।

15. इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से हालांकि यह झलकता है कि सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है, किंतु शव विच्छेदन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मृतक को कुल 10 चोटें आईं, और इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि यह झूठे फंसाने का मामला है।

16. इसके अलावा, अपीलार्थी के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद सह-आरोपी सुरेश राय की जमानत याचिका भी इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा खारिज कर दी गई है।

17. हालांकि, सह-आरोपी बलादीन, अमोल और नीरज की जमानत याचिकाएं इस न्यायालय की एक अन्य समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार कर ली गईं। सह-आरोपी नीरज के मामले में पारित जमानत आदेश के खिलाफ जब सूचनादाता ने विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी जमानत रद्द नहीं की, बल्कि 29.05.2026 के अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि हम सह-आरोपी नीरज को जमानत पर रिहा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से संतुष्ट नहीं हैं।

18. इसके अलावा, अभिलेख से भी यह पता चलता है कि मृतक का वीडियो बयान उसकी मृत्यु से पहले अभिलेख किया गया था और जांच अधिकारी द्वारा मुकदमा विवरणी में दर्ज किए गए उसके अंश से पता चलता है कि उसने अपीलार्थी और सह-आरोपी लाल लाल और मिथ्यो का नाम उजागर किया और कहा कि उन्होंने उस पर हमला किया था और यहां तक कि उसके अनुसार अपीलार्थी के पास उसकी हत्या करने का मकसद था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. इसके अलावा, हालांकि इससे यह स्पष्ट होता है कि सह-आरोपी मिथ्यो और लाल लाल को भी इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन सह-आरोपी नीरज की जमानत याचिका के विरुद्ध सूचनादाता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2026 को पारित आदेश के आलोक में, इस न्यायालय के विचार में, अपीलार्थी को इस आधार पर जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सह-आरोपी नीरज को जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से संतुष्ट नहीं हैं।

20. इसलिए, ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के विचार में, अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

21. तदनुसार, यह जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत याचिका के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

21 अगस्त, 2026

शहरोज़